

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू-अभिलेख अधिकारी बालोतरा
पीठासीन अधिकारी:- अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व आवेदन संख्या :- 79/2025
जी.सी.एम.एस. नम्बर :- 2025/124

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
तेजाराम पुत्र गोबरराम		1.खीमाराम पुत्र सांवलराम
जाति कलबी		2.चेलाराम पुत्र भीखाराम
निवासी थोब		3.घुडाराम पुत्र सांवलराम
तहसील कल्याणपुर व जिला		4.लाछो पत्नि सांवलराम
बालोतरा		5.हिमताराम पुत्र सांवलराम
		6.मानिया उर्फ मानाराम पुत्र खेताराम
		7.सोमिया उर्फ सोमाराम पुत्र गणेशा
		जाति कलबी निवासी थोब
		तहसील कल्याणपुर
		8.विरेन्द्रसिंह पुत्र छतरसिंह
		9.मदनसिंह पुत्र छतरसिंह जाति राजपूत
		निवासी थोब तहसील कल्याणपुर
		10.राजस्थान राज्य जरीए तहसीलदार
		कल्याणपुर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति-

- 1.श्री अचलाराम थोरी अधिवक्ता प्रार्थी
- 2.श्री करणसिंह सोलंकी अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 8 व 9
- 3.विप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 10 एकपक्षीय

आदेश



दिनांक 06/06/2025

1.संक्षिप्त में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 953 क्षेत्रफल 16.5273 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काशत चला आ रहा है। प्रार्थीगण की भूमि के सेढा सेढा विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। अतः

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

प्रार्थी द्वारा ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 953 क्षेत्रफल 16.5273 हैक्टेयर भूमि की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री करणसिंह सोलंकी द्वारा विप्रार्थी संख्या 8 व 9 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थी के आवेदन का जवाब पेश नहीं कर सीधे ही बहस करना चाहते हैं। विप्रार्थी संख्या 1 से 7 व 10 को सुनवाई के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण उक्त विप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 953 क्षेत्रफल 16.5273 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है, प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थी की भूमि आई हुई है, वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है, और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते हैं तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है, और आये दिन सीमाओं को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। विप्रार्थी झगड़ालू प्रवृत्ति का होने के कारण आये दिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि की सीमाओं को लेकर विवाद करता रहते हैं। प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी को मना करने के उपरांत भी विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी करने में बाज नहीं आ रहे हैं। अंत में निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 953 क्षेत्रफल 16.5273 हैक्टेयर भूमि की नेखमबन्दी के आदेश फरमावे जावे।

4. विप्रार्थी संख्या 8 व 9 अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि की लगती विप्रार्थी की खातेदारी भूमि आई हुई है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबंदी विप्रार्थी की उपस्थिति में की जावे।

5. हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 953 क्षेत्रफल 16.5273 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत् 2079-2082 का अवलोकन करने से स्पष्ट है। इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि के रिकार्ड खातेदार हैं, और रिकार्ड खातेदार अपनी भूमि की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसका प्रार्थी प्रथम दृष्यता हकदार प्रतीत होता है। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण के लिए हम यहां धारा 128 आर.एल.आर. उल्लेख करना उचित समझते



उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

है, जिसके अनुसार :- धारा 128 सीमा विवाद-सम्बन्धी समस्त विवाद भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा धारा 111 में निर्धारित शीति से तय किए जायेंगे:

1. (परन्तु खेतों के सीमाओं सम्बन्धी आवेदन-पत्र, जहाँ यद्यपि ऐसी सीमा के विषय में कोई विवाद विद्यमान नहीं हो किन्तु सही सीमा चिन्हों के अभाव में ऐसी विवाद उठाने की सम्भावना हो तो तहसीलदार को ही पेश किए जायेंगे तथा उसी के द्वारा निपटाये जायेंगे)


उक्त प्रावधान से स्पष्ट है, कि सीमाओं में विवाद की स्थिति होने पर विवादों का निपटारा न्यायालय हाजा के स्तर से किया जाना है। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 06.1.2025 की अवलोकन से हस्तगत प्रकरण में विचाराधीन आराजी की सीमाओं में विवाद होने का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ऐसी स्थिति में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 128(1) के अनुसरण में निर्विवाद मामलों को तहसीलदार द्वारा निपटाया जाना है, अतः हस्तगत प्रकरण में हम प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के सीमाज्ञान बाबत तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना-पत्र/आवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

5. उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है, कि प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के हकदार है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन आशिक स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

—:आदेश:—


अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः आवेदन-पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 आशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम थोब पटवार हल्का थोब तहसील कल्याणपुर की खेत खसरा संख्या 953 क्षेत्रफल 16.5273 हैक्टेयर भूमि की पैमाईश करने हेतु एक राजस्व टीम का गठन कर मुस्तकिल बिन्दु से विवादित आराजी की सीमाओं का चिन्हिकरण करते हुए विधिनुसार पैमाईश कार्रवाई करने हेतु तहसीलदार पंचपदरा को निर्देशित किया जाता है।




(अशोक कुमार)

उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

आदेश आज दिनांक 06.06.2025 लिखा जाकर सर-ए-इजलास सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा